


में बतौर अप्रार्थी पक्षकारान् संयोजित नहीं करने एवं प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)